न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2022 नामान्तरकरण अपील

1. कमलेश पुत्री स्व. कानाराम पत्नि रामखिलाडी
2. काली पुत्री स्व. कानाराम पत्नि रमेश

जाति मीना निवासी रामनगर रेवडी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021
न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा

उपस्थिति :—1. पं. रामबाबू शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः—06.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या 71 में वर्णित आराजी खसरा संख्या 58 रकबा 34 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता संख्या 70 में वर्णित खसरा संख्या 56 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 57 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चाह किता 2 कुल रकबा 6 बिस्वा भूमि ग्राम सोनड तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा तस्दीक किया है। खसरा संख्या 58 रकबा 34 बीघा 1 बिस्वा भूमि में अपीलान्टगण के पिता स्व. गोपाल पुत्र मूल्या मीना का हिस्सा 235/255 था तथा खसरा संख्या 56, 57 किता 2 कुल रकबा 6 बिस्वा भूमि में गोपाल पुत्र मूल्या का हिस्सा 1/2 था। अपीलान्ट्स स्व. गोपाल पुत्र मूल्या मीना के स्व. पुत्र कानाराम की जायन्दा पुत्रीयां है। अपीलान्ट्स के पिता स्व. कानाराम का देहान्त अपीलान्ट्स के बाबा गोपाल के जीवनकाल में ही हो गया था। बाबा गोपाल का देहान्त हो जाने के बाद तहसीलदार रामगढ पचवारा ने मृतक गोपाल के वारिसान की विधिवत जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट्स इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी एवं प्रकरण में वांछित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट कमलेश एवं काली स्व. कानाराम की जायन्दा पुत्रीयां है। अपीलान्ट्स के पिता स्व. कानाराम स्व. गोपाल का जायन्दा पुत्र है। परन्तु कानाराम का देहान्त उसके पिता गोपाल से पूर्व ही हो गया था। अपीलान्ट कमलेश एवं काली का पिता स्व. कानाराम अपने पीछे मात्र दोनो पुत्रियों को छोडकर चला गया था। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा मृतक कानाराम के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारिसान अपीलान्ट कमलेश एवं काली को नजरअंदाज करते हुये बिना विधिवत जांच किये ही यह नामान्तरकरण संख्या 632 तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट कमलेश एवं काली स्व. कानाराम की कानूनी उत्तराधिकारी है। मृतक गोपाल की जायदाद में उनका जन्म से ही हक अधिकार है। मृतक गोपाल की विरासत में अपीलान्ट कमलेश एवं काली का हिस्सा 1/7 है। परन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा ने यह नामान्तरकरण संख्या 632 तस्दीक कर अपीलान्ट कमलेश एवं काली को वास्तव में उनके हक से महरूम कर दिया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 निरस्त फरमाया जाकर स्व. कानाराम के वारिसान की सही जांच कर पुनः विधिसम्मत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट कमलेश एवं काली का पिता स्व. कानाराम जो कि मृतक गोपाल का जायन्दा पुत्र है एवं स्व. कानाराम का देहान्त गोपाल से पूर्व ही हो गया था। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा मजमे आम में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 स्वीकृत किया गया था। यदि उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक किये जाने में कोई आपत्ति थी तो उस समय तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जानी चाहिये थी।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील में निवेदन किया गया है कि तहसीलदार रामगढ पचवारा ने मृतक कानाराम के वारिसान अपीलान्ट्स को अवोईड करते हुये मृतक गोपाल के वारिसान की बिना जांच किये ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। मृतक खातेदार के वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 632 दिनांक 8.12.2021 ग्राम सोनड तहसील रामगढ पचवारा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मूल खातेदार गोपाल पुत्र मूल्या जाति मीना की मृत्यू के पश्चात् उसके विधिक वारिसान की जांच कर एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा